<u>विषय–सूची</u>

I. प्रस्तावना
II. विधि तथा दृष्टिकोण
III. पृष्ठभूमि
IV. प्रचलित विनियामक प्राधिकरण
V. निधि के निगमन की प्रक्रिया
VI. निधि के स्त्रोत
VII. निधि का प्रयोग
VIII. ब्याज तथा लाभांश की अधिकतम सीमा
IX. संगठन तथा नीति दिशा–निर्देश
X. रेटिंग
XI. बीमा
XII. विवेक पूर्ण मानक
XIII. निधि खातों की लेखापरीक्षा
XIV. विनियामक तथा पर्यवेक्षण प्राधिकरण

# निधि संबंधी सबनायगम समिति की रिपोर्ट

## I. प्रस्तावना

निधि कंपनियों की कार्य प्रणाली के विभिन्न पक्षों की जांच के लिए केन्द्र सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 5/7/2000–सीएल–V द्वारा एक समिति का गठन किया। अधिसूचना इस प्रकार हैः

"केन्द्र सरकार एतद् द्वारा एक समिति का गठन करती है जो निधि कंपनियों की कार्य प्रणाली के विभिन्न मुद्दों की जांच करेगी और निधि कंपनियों के समग्र सुधार के लिए समुचित नीति ढ़ांचे का सुझाव देगी और निवेश करने वाली जनता विशेष कर छोटे निवेशकों का विश्वास फिर बनाने और इस प्रकार निधि कंपनियों की सुदृढ़ कार्य प्रणाली में सहायता करेगी इसके अलावा यह समिति निधि कंपनियों के विनियमन के लिए वैकल्पिक तंत्र की जांच भी करेगी ताकि ये कंपनियां छोटी बचतों को जुटाने और लाभदायक रूप से निवेश करने में मुख्य भूमिका निभा सकें और परिचालन परिवर्तनों/त्रुटियों के विभिन्न मुद्दों की गहन जांच करेगी और व्यवहार्यता तथा निष्पादन में आगे सुधार के लिए समुचित नीति–निर्देश प्रस्तावित करेगी। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | श्री पी. सबनायगम, पूर्व केन्द्रीय सचिव, मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई | ... | अध्यक्ष |
| **2.** | श्री एस. राधाकृष्णन, प्रो. ऑफ इक्नोमिक्स | ... | सदस्य |
| **3.** | श्री एन. आर. श्रीधरन, सी.ए., चेन्नई | ... | सदस्य |
| **4.** | श्री टी. एस. वी. पांडुरंग शर्मा पूर्व महानिदेशक, एम.आर.टी.पी.सी. | | सदस्य |
| **5.** | (i) श्री वी.एस.एन. मूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई, (23.03.2000 से 30.06.2000 तक)<br>(ii) श्री आर. सदानंदम, मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी), भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई, (1.7.2000 से) | ... | सदस्य |
| **6.** | श्री एच. राजा, सी.ए., काराइकुडी | ... | सदस्य |
| **7.** | श्री मथुरादास एच. मेहता, मुम्बई | ... | सदस्य |
| **8.** | श्री आर. वासुदेवन, निदेशक, कंपनी कार्य विभाग | ... | सदस्य |
| **9.** | श्री वी. श्रीनिवास राव, क्षेत्रीय निदेशक | ... | सदस्य |

कंपनी कार्य विभाग, चेन्नई | सचिव

समिति निम्नलिखित मुद्दों की जांच करेगी और इनसे संबंधित सिफारिशें करेगीः

(i) निधि कंपनियों के कार्यकलापों की मॉनीटरिंग के लिए वर्तमान तंत्र का मूल्यांकन तथा निधि कंपनियों को जारी रखने और सुदृढ़ बनाने के लिए बेहतर तंत्र की सिफारिश;

(ii) एनबीएफसी के अनुरूप निधि के कोष के नियोजन हेतु विवेकपूर्ण मानकों का सुझाव देना तथा पालन हेतु दिशा–निर्देशों का विकास;

(iii) इस प्रकार के मानकों का अनुपालन न किए जाने का पता लगाने के लिए एक पर्यवेक्षण ढ़ांचे का सुझाव देना तथा जमा बीमा–सुरक्षा आरंभ करने तथा निधि कंपनियों के लिए लागू की जा सकने वाली किसी प्रकार की रेटिंग शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करना;

(iv) निधि कंपनियों के विकास तथा समुचित कार्यप्रणाली के लिए एक भावी दीर्घ कालीन विकास योजना तैयार करना ताकि निधि कंपनियां वित्तीय सुधारों के साथ–साथ प्रौद्योगिकी विकास, स्टेक होल्डर्स की बढ़ती जरुरतों और राष्ट्रीय आदेशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें;

(v) समिति इस प्रकार के अन्य प्रासंगिक मामलों पर भी विचार कर सकती है......

समिति आवश्यकतानुसार इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों का परामर्श ले सकती है। समिति इस अधिसूचना/आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने के अंदर (यह अवधि विभाग के 30 जून, 2000 के पत्र संख्या 5/7/2000–सीएल–V द्वारा आगे तीन महीने के लिए 30 सितम्बर, 2000 तक बढ़ा दी गई है) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

कंपनी कार्य विभाग नोडल विभाग होगा।''

1. II. विधि तथा दृष्टिकोण

समिति ने उन्हें सौपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी पहली बैठक में यह निर्णय किया कि निधि कार्यप्रणाली से संबंधित सभी पार्टियों जैसे एसोसिएशन ऑफ निधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव आदि को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। सामान्य प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा मुद्‌दों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रश्नावली (परिशिष्ट–I) तैयार की गई और सभी संबंधितों को भेज दी गई। चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में बैठकों का आयोजन किया गया और सभी संबंधितों (परिशिष्ट–II) को सूचना भेजी गई कि वे बैठक में भाग लें और लिखित विवरण के साथ अपना प्रतिनिधित्व करे। व्यवहार्य समाधान निकालने के लिए इन बैठकों में स्पष्ट विचार–विमर्श किए गए।

2. III. पृष्ठभूमि

**1.** समिति द्वारा निधियों की पृष्ठभूमि, उनकी मुख्य विशेषताएं, उनका कार्य करने का तरीका, उनका विनियमन आदि निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया गया है। हालांकि इन समितियों में निधि सहित वित्तीय संस्थाएं शामिल है फिर भी वर्तमान समिति ऐसी पहली समिति है जिसे केवल निधियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(i) 1965 में विश्वनाथ शास्त्री समिति
(ii) 1972 में बैंकिंग आयोग
(iii) 1975 में जेम्स राज समिति
(iv) 1987 में चक्रवर्ती रिपोर्ट
(v) 1992 में डॉ. ए.सी. शाह समिति

**2.** यह उल्लेखनीय है कि एक शताब्दी से भी अधिक समय से लोगों में जमा करने की आदत पैदा करने के उद्‌देश्य से निधियों को लोक सेवा से संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है जैसे स्थानीय समृद्ध व्यक्ति, वकील तथा लेखापरीक्षक, शिक्षाविद् आदि जैसे पेशेवर जिनमें सेवानिवृत्त व्यक्ति शामिल है। इनके कार्यकलापों का

क्षेत्र स्थानीय–नगरपालिकाओं और पंचायतों में ही सीमित था। कुछ निधियों ने अपनी वित्तीय और प्रशासनिक सुदृढ़ता के कारण संबंधित राजस्व जिला तथा उसके बाहर भी अपनी शाखाएं खोली। परस्पर हित का सिद्धांत ही प्रमुख था। सदस्यों से बचत प्राप्त करना तथा केवल सदस्यों को ही ऋण देना और इनका गैर–सदस्यों से कोई संपर्क नहीं था।

**3.** प्रारंभ में निधियों का उद्‌देश्य राशि जमा करना तथा गहनों आदि अथवा संपत्ति को गिरवी रखकर सदस्यों को धनराशि उधार देना था। निधियों से चिट फंड, किराया खरीद, बीमा अथवा शेयर या लाभांश में निवेश सहित किसी अन्य व्यापार में शामिल होने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। जैसा कि बताया गया है ये निधियां केवल सदस्यों के साथ ही लेन–देन करती थीं। ये सदस्य व्यक्ति होते थे। संस्थानों अथवा न्यासों को सदस्य नहीं बनाया जाता था।

**4.** समिति को एक सुझाव दिया गया कि विगत में शेयर बाजार पूंजीकरण का लाभ केवल समृद्ध शहरी आबादी को ही मिलता है और इस प्रकार के लाभ ग्रामीण आबादी तक नहीं पहुंचते। इस संबंध में समिति ने विचार किया कि क्या परामर्शदाताओं की सेवाएं लेकर निधियों को इक्विटी निवेश में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। डीसीए द्वारा विनियमन लागू करने के बाद से निधियों को शेयरों में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त यदि निधियों को शेयरों में व्यापार की अनुमति दे दी जाए तो उनका प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि निधि को इक्विटी निवेश में भाग लेने की अनुमति न दी जाए।

**5.** निधियों की इतिहास में अनेक असफलताओं के उदाहरण हैं परंतु हाल ही में बिना सोचे–समझे ऋण देने और नियंत्रकों के कुप्रबंधन के कारण करोड़ों रुपए की धनराशि और लाखों निवेशकर्ताओं से संबंधित निधियों की असफलताएं देखने में आई हैं। इस प्रकार की चौंका देने वाली घटनाओं के कारण कुल मिलाकर निधियों की आलोचना होती रही है। हालांकि सच्चाई यह है कि बहुत सी निधियां, जिनमें से कुछ 100 वर्ष से भी पुरानी हैं, बिना किसी शिकायत के चल रही हैं और उनकी वित्तीय

संसाधन जुटाने व सेवाएं देने की प्रथाएं सराहनीय रही हैं। समिति इस बात की सराहना करती है कि मध्यम व निम्न मध्यवर्गीय लोगों को कम से कम औपचारिकता के साथ तुरंत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में निधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अतः निधियों को समुचित निरीक्षण के तहत विकास की अनुमति दी जानी चाहिए।

**6.** उपर्युक्त कुछेक असफलताएं प्रारंभिक संकेत हैं तथा निधियों पर रोक लगाए बिना उन्हें विनियमित करना उन पर निरीक्षण व अनुशासनिक नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है। इस संबंध में सरकार द्वारा समिति का गठन ज्यादा विलंब नहीं है तथा समिति के विचारार्थ विषय महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित हैं और समिति निम्नलिखित सिफारिशें देती हैं।

**7.** इस स्तर पर यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि निधि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित एक कंपनी है, डीसीए ने निधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निधियों को कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट देकर रियायतें दी हैं। निधि को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी से अलग करने की जरूरत को देखते हुए समिति ने एक ओर निधियों को कुछ रियायतें देने की सिफारिश की है और दूसरी ओर निधियों की कार्यप्रणाली को शासित करने के लिए कुछ विनियमनों की सिफारिश भी की है जो कुछ कड़े प्रतीत होते है परंतु जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में ऐसा किया गया है।

## IV. प्रधान विनियामक प्राधिकरण

निधियों का विनियमन लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा किया जाता है वे भी एक प्रकार की एनबीएफसी हैं अतः उनके जमा स्वीकृति कार्यकलापों संबंधी मामलों में उन्हें निदेश देने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह देखते हुए कि निधियां केवल अपने शेयर धारक सदस्यों से ही लेन–देन करती हैं; अधिसूचित निधियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के मुख्य प्रावधानों तथा एनबीएफसी के लिए लागू अन्य निर्देशों से छूट दी है। भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निधियों के लिए लागू निर्देश की समीक्षा की जाती है। फिलहाल निधियों पर जमाराशि पर ब्रोकरेज के भुगतान तथा किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने पर रोक है। फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों पर लागू प्रावधान जमाराशि पर देय ब्याज दर की अधिकतम सीमा से संबंधित हैं।

## V. निधियों के निगमन की प्रक्रिया

1. प्रारंभ में यह उल्लेखनीय है कि 'निधि' शब्द को परिभाषित करने की कोई सरकारी अधिसूचना नहीं है। निधि लेन–देन, जैसे सदस्यों से धनराशि लेना तथा उसे केवल सदस्यों को प्रतिभूति पर देना, करने वाली कंपनियां विभिन्न नामों से काम कर रही हैं जैसे निधि, पर्मानेंट फंड, बेनेफिट फंड, म्युचुअल बेनेफिट फंड तथा म्युचुअल बेनेफिट कंपनी। उपर्युक्त को देखते हुए समिति का विचार है कि निधि शब्द की एक संक्षिप्त परिभाषा तथा अर्थ होना चाहिए। फिलहाल निधियों की कार्यप्रणाली पर विचार करने तथा इस रिपोर्ट में समिति की सिफारिशों को देखते हुए और साथ ही कंपनी कार्य विभाग में निगमन किए बिना निधि लेन–देन करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों को रोकने के लिए समिति निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तावित करती है:

"निधि एक ऐसी कंपनी है जिसका एकमात्र उद्देश्य मितव्ययिता, बचत की आदत ड़ालना तथा केवल सदस्यों के रूप में भरती व्यक्तियों से जमाराशि प्राप्त करके उस राशि को केवल सदस्यों के रूप में शामिल व्यक्तियों को ऋण पर देकर परस्पर हित के लिए कार्य करना है और जो कंपनी कार्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिसूचना तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। निधि शब्द का प्रयोग कंपनी कार्य विभाग द्वारा निगमन किए बिना उधार व ऋण देने की कार्य संबंधित किसी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्ति के लिए न किया जाए और इस प्रकार का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

2. समिति यह भी सिफारिश करती है कि उपर्युक्त परिभाषित निधि व्यवसाय करने की इच्छुक कंपनी के नाम के आगे 'निधि' शब्द होना चाहिए। निधि के रूप में कार्यरत वर्तमान कंपनियों को तीन महीने की अवधि के अंदर अपने नाम के बाद 'निधि' शब्द

जोड़ना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को अपनाने से जनता तथा प्राधिकारियों को भ्रम नहीं होगा कि कोई कंपनी निधि है अथवा नहीं।

3. निधि कंपनी को निगमित करने की मौजूदा प्रक्रिया इस प्रकार हैः कंपनी जिस नाम से जानी जाएगी, उस नाम का अनुमोदन लेने के लिए प्रोमोटर्स कंपनी रजिस्ट्रार को तीन नाम प्रस्तावित करेगें। कंपनी रजिस्ट्रार जांच के बाद एक नाम का चयन करेगा अथवा नए नामों की सूची मंगाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार प्रोमोटर्स को नाम आवंटित करेगा जिसका उपयोग कंपनी के नाम के रूप में किया जाएगा। परंतु इस स्तर पर 'निधि' शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात् प्रोमोटर्स द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद प्रस्तुत किए जाएंगें जो जांच के बाद कंपनी को पंजीकृत करेगा तथा एक निगमन प्रमाण–पत्र जारी करेगा। इसके बाद कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत निर्दिष्ट विवरणिका के स्थान पर विवरण, प्रोमोटर्स द्वारा घोषणापत्र आदि जैसे दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएंगें। कंपनी रजिस्ट्रार संशोधन, यदि हों, तो उनके बाद इन दस्तावेजों का पंजीकरण करेगा और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र जारी करेगा। इस स्तर पर कंपनी की सदस्यता संख्या अथवा व्यवसाय के लिए पूंजी से संबंधित किसी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। कंपनी ब्याज दर पर किसी प्रतिबंध के बिना तथा किसी भी समयावधि के लिए जमाराशि प्राप्त कर सकती है तथा ऋण दे सकती है। परिणामस्वरूप इस प्रकार की कंपनियों के कार्य प्राधिकारियों द्वारा सीमित अथवा निरीक्षित नहीं हैं। इस अवधि के दौरान प्राधिकारियों को इस प्रकार की कंपनियों की कार्यप्रणाली का पता चल जाता है और जमाराशि प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में जनवरी, 1997 में किए गए संशोधन से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक का यह विचार था कि निधि का दर्जा देना कंपनी कार्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में है तथा कि निधि के अनुरूप कार्य कर रही कंपनियां, जो अभी सरकार की अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रही हैं, कंपनी कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन होनी चाहिएं तथा स्थिति स्पष्ट न होने के कारण ये कंपनियां मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए स्वतंत्र थीं।

4. जनवरी, 1998 में जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के लिए नया विनियामक ढांचा घोषित किया गया, यह प्रावधान किया गया कि सभी कंपनियां, चाहे वे निधि पद्धति के अनुरूप कार्य कर रही हों, कंपनी अधिनियम की धारा 620क के अंतर्गत निधि के रूप में अधिसूचित होने तक ''ऋण कंपनियां'' मानी जाएंगी। यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि हाल ही में (1.11.1999 को) कंपनी कार्य विभाग ने एक अधिसूचना द्वारा कंपनियों पर धनराशि स्वीकार करने पर तथा वृद्धि जमाराशि की मात्रा पर सीमा लगाई है। इनमें से केवल वहीं कंपनियां, जो कंपनी अधिनियम की धारा 620क के अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाना चाहती हैं, कंपनी कार्य विभाग को आवेदन करेंगीं। इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा अपेक्षित सूचना दी जानी है। घोषणा होने के बाद कंपनी को 'निधि' का दर्जा मिलेगा और उसे कंपनी अधिनियम के बहुत से प्रावधानों से छूट भी मिलेगी। तथापि इस प्रकार की निधियों एनबीएफसी निदेशों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर समग्र अधिकतम सीमा द्वारा शासित हैं।

5. 1996 तक 192 कंपनियों को निधि घोषित किया गया है। इनमें से 136 कंपनियां तमिलनाडु में हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 620क के तहत जिन कंपनियों ने निधि के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है उनकी संख्या 93 बताई जाती है तथा ऐसी कंपनियों की संख्या निश्चित नहीं है जो निधि के अनुरूप कार्य करने का दावा करती हैं, परंतु उन्होंने निधि घोषित करने हेतु आवेदन नहीं किया है। उन कंपनियों, जिन्होने निधि के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु आवेदन किया है और धारा 620क के अंतर्गत घोषणा अभी नहीं की गई है, उनके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी कार्य विभाग के परामर्श से ऐसी कंपनियों को निधि घोषित किए जाने वाली कंपनियों के लिए लागू कुछ शर्तों के अधीन उन्हें परस्पर हित कंपनियां मानते हुए जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति देने हेतु निदेश जारी किए। इस प्रकार जहां एक ओर धारा 620क के अंतर्गत निधि के रूप में पंजीकृत कंपनियां ही भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों से छूट की पात्र थीं, तदनंतर कंपनी कार्य विभाग ने इस प्रकार की कंपनियों को उनके क्रियाकलापों के आधार पर संभावित निधि कंपनियां माना है तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी कार्य विभाग के परामर्श से ऐसी कंपनियों को

परस्पर हित कंपनियों के नाम से जारी रखने की अनुमति दी है परंतु उन्हें कंपनी कार्य विभाग द्वारा निधि घोषित नहीं किया गया है वे भी निधि के समान व्यवहार की पात्र हैं, जो कि असंगत लगता है।

6. कंपनी का 'निधि' के रूप में निगमन करने हेतु प्रक्रिया की सिफारिश की गई है।

(i) समिति का यह विचार है कि निधियों के निगमन के लिए प्रचलित प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से तर्कसंगत बनाना अपेक्षित हैः

शेयर मूल्य, धनराशि जुटाने, प्रयोग, ब्याज प्रभार, निदेशक मंडल का गठन, शाखाएं खोलने आदि के संबंध में इस समिति की अनेक सिफारिशों को देखते हुए यह आवश्यक है कि ये सभी सिफारिशें, जहां तक सरकार द्वारा स्वीकार्य हों, तथा विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को संगम ज्ञापन तथा अनुच्छेद का एक अभिन्न भाग बनाया जाए। संगम ज्ञापन व अनुच्छेद तथा दिशा–निर्देशों का मॉडल संलग्न है (परिशिष्ट–III, IV, तथा V)।

(ii) कंपनी अपने लिए एक नाम जिसमें अनिवार्यतः 'निधि' शब्द होगा का कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमोदन लेने के बाद अपना संगम ज्ञापन व अनुच्छेद अपेक्षित साक्ष्य के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को निगमन के लिए प्रस्तुत केरगी।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जांच के बाद निगमन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(iii) कंपनी का 'निधि' के रूप में निगमन करने के लिए दिनांक 1.11.1999 की अधिसूचना द्वारा वर्तमान अपेक्षा 2000 सदस्य तथा 25 लाख रुपए की पूंजी है। निधि एसोसिएशन तथा अन्य ने आवेदन किया है कि निधियों को स्थानीय लोगों, जो बहुत समृद्ध नहीं हैं, द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, उनके द्वारा पूंजी बढ़ाने व सदस्यों की भरती करने में काफी समय लग सकता है। विगत में निधियां सैकड़ों की संख्या में सदस्यों तथा लगभग 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ शुरू की गई थीं। विगत और साथ ही रुपए के वर्तमान मूल्य और हो रहे अर्ध–शहरीकरण को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि अपेक्षित सदस्यों की संख्या घटाकर 500 कर दी जाए तथा 25 लाख रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ प्रदत्त पूंजी 10 लाख रुपए कर दी जाए। सदस्यों की भरती व पूंजी में वृद्धि के इन मानकों को पूरा करने के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में

कंपनियों को तीन महीने तथा अन्य क्षेत्रों में छः महीने का समय दिया जाए। यदि कंपनी द्वारा पर्याप्त कारण दिए जाएं तो विनियामक प्राधिकरण उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी करने के लिए अधिकतम तीन महीने का समय बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। यदि यह अवधि समाप्त होने के बाद भी कंपनी उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाती तो कंपनी के लिए प्राप्त शेयर आवेदन राशि आवंटन न होने के कारण लौटाना अनिवार्य होगा।

(iv) यह प्रक्रिया पूरी होने पर वर्तमान प्रथा के अनुसार कंपनी कार्य विभाग के स्थान पर स्वयं कंपनी रजिस्ट्रार जांच करेगा कि सभी शर्तें पूरी हो गई हैं तथा 'व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रावधान' जारी करेगा और साथ ही कंपनी को धारा 620क के तहत निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित करेगा। उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करने पर निम्नलिखित लाभ सुनिश्चित होंगेः–

(क) कोई भी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र लिए बिना तथा कंपनी अधिनियम की धारा 620क के अंतर्गत 'निधि' के रूप में अधिसूचित हुए बिना धनराशि प्राप्त अथवा उधार नहीं दे सकती ।

(ख) निगमन तथा व्यवसाय प्रारंभ करने के मध्य ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा;

(ग) इसके बाद अनधिकृत प्रोमोटर कंपनी नहीं बना सकेंगे तथा निधि घोषित कराए बिना धनराशि प्राप्त करने व उधार देने का व्यवसाय नहीं कर पाएंगें।

(घ) अंततः इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को संगम ज्ञापन तथा अनुच्छेद में शामिल करने से निधि कंपनी स्वतः ही विनियामक प्राधिकरण के अनुशासन व नियंत्रण में आ जाएगी जिसे कंपनी को समय–समय पर प्रासंगिक सूचना उपलब्ध करानी होगी।

(V) यह ज्ञात है कि कंपनियों द्वारा धारा 620क के अंतर्गत घोषणा के लिए विभाग को किए गए बहुत से आवेदन पत्र लंबित हैं। समिति का सुझाव है कि समिति की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय न होने तक इस प्रकार के लंबित आवेदनों का, यदि वे वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों, समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों के अधीन, निपटान कर दिया जाए। यह बताया जाता है कि समिति के गठन की तारीख से प्राप्त होने वाले आवेदनों को सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें लागू करने तक लंबित रखा जा सकता है।

(vi) ऐसी लगभग 1300 कंपनियों, जो निधि व्यवसाय कर रही हैं परंतु उन्होंने निधि के रूप में घोषित करने हेतु कंपनी कार्य विभाग को आवेदन नहीं किया है, पर निधि व्यवसाय करने पर रोक लगाई जाती है। यदि किसी कंपनी का आवेदन कंपनी कार्य विभाग द्वारा वर्तमान प्रावधानों, नियमनों तथा दिशा–निर्देशों के संदर्भ में अस्वीकृत किया जाता है परंतु वह समिति की सिफारिशों के अनुरूप है तो कंपनी उपयुक्त समाधान के लिए आवेदन कर सकती है। यदि उन्होंने पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के लिए आरबीआई को आवेदन किया हो तो यह सिफारिश की जाती है कि उनका आवेदन एनबीएफसी विनियमनों के अनुरूप न होने पर आरबीआई द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। वे कंपनियां जिन्होंने आरबीआई अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को आवेदन नहीं किया है परंतु निधि व्यवसाय कर रही हैं, उनके विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई करना राज्य पुलिस का काम है।

## VI. धनराशि के स्रोत

### 1. <u>इक्विटी शेयर</u>

(i) बहुत सी निधि कंपनियों के इक्विटी शेयर का मूल्य 1/–रुपया है। वर्तमान संदर्भ में रुपए की क्रय–शक्ति को देखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि नई कंपनियों, जो निधि के रूप में कार्य करना चाहती हैं के लिए शेयर का मूल्य इस उपबंध के साथ कि कंपनी सेवा प्रभार नहीं लगाएगी, 10/-रु. होना चाहिए। शेयर का

मूल्य अधिकतम नियत करने पर भी विचार किया गया परंतु समिति का यह मत था कि इस आम धारणा को ध्यान में रखते हुए कि देश के आर्थिक व वित्तीय विकास में यथासंभव अधिक से अधिक लोग सहभागी बनें, शेयर का मूल्य अधिक नियत करना आवश्यक नहीं है। जहां तक 1/-रुपए के शेयर मूल्य के साथ कार्यरत वर्तमान कंपनियों का संबंध है, उन्हें परामर्श दिया जाए कि वे एक वर्ष के अंदर इसे 10/-रुपए तक बढ़ा लें। निधियां केवल राइट्स इश्यू जारी कर सकती है तथा राइट्स इश्यू की जमा न कराई गई राशि वर्तमान कानून के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा विभाजित की जा सकती है।

(ii) कोई भी सदस्य इक्विटी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10% से अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।

2. अधिमानी शेयर

(i) यदि निधियों को अधिमानी शेयर जारी करने की अनुमति दे दी जाए तो शेयर विमोचन के लिए देय होने पर नकदी की कमी का हमेशा खतरा बना रहेगा। इसके अलावा अधिमानी शेयर धारक का निधि की कार्यप्रणाली में कोई वास्तविक जोखिम नहीं होता।

(ii) किसी निधि द्वारा अधिमानी शेयर जारी करने का अर्थ इक्विटी शेयर धारकों से पृथक शेयरधारकों की एक अलग श्रेणी बनाना होगा जो कि परस्पर हित व समानता की मूल अवधारणा के विरूद्ध है।

(iii) कुछ निधियों द्वारा अधिमानी शेयर जारी करने की सूचना मिली है। इन मामलों में एक बार अधिमानी शेयरों का विमोचन हो जाने के बाद दोबारा जारी करने की अनुमति न दी जाए। साथ ही तब तक इस प्रकार के शेयरों की गणना शुद्ध स्वामित्व कोष में न की जाए।

अतः समिति की सिफारिश है कि निधियों को कभी भी नए अधिमानी शेयर जारी करने की अनुमति न दी जाए।

3. जमाराशि

(i) निधियों को अपने सदस्यों को ऋण तथा जमाराशि योजना तथा तुलनपत्र का सार गुप्त रूप से परिचालित करने की अनुमति दी जाए। जमाराशि अथवा सदस्य  जुटाने अथवा ऋण प्रदान करने के लिए किसी दलाली अथवा प्रोत्साहन के भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक निधि भावी जमाकर्ता को एक जमा आवेदन फार्म उपलब्ध कराएगी जिसे जमाकर्ता द्वारा भरा जाएगा और उस फार्म में एनबीएफसी विज्ञापन नियमों के अनुसार निधि के वित्त व प्रशासन संबंधी मुख्य विशेषताएं दी जाएंगी।

(ii) सभी जमाधारकों, चाहें सावधि जमाधारक हों अथवा आवर्ती, के पास न्यूनतम दस शेयर (100/-रुपए) होने चाहिए।

(iii) सावधि जमा

सावधि जमा कम से कम बारह महीने तथा अधिकतम 84 महीने के लिए होनी चाहिए।

(iv) आवर्ती जमा

निधि कंपनी न्यूनतम 12 महीने से लेकर अधिकतम 84 महीने तक की अवधि में अपने सदस्यों के साथ आवर्ती खाता चला सकती है।

(v) चूंकि समिति संपत्ति पर ऋण के संबंध में अधिकतम 60 महीने की अवधि का प्रस्ताव कर रही है, सावधि जमा तथा आवर्ती जमा के मामले में अधिकतम 84 महीने की अनुमति दी गई है ताकि निधि के पास पर्याप्त नकदी रहे।

(vi) निधि कंपनियों को प्रीपेड ब्याज वारंट जारी करने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार का ब्याज जो भी प्राप्त हो, जमाकर्ता के बचत जमाखाते, यदि हो तो, में जमा किया जा सकता है।

4. सावधि जमा जुटाने की अधिकतम सीमा

(i) फिलहाल निधियों द्वारा प्राप्त जमाराशि पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है। किसी भी वित्तीय संस्थान के पास व्यवसाय की आकस्मिकता, यदि हो, तो उससे होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी होनी चाहिए ताकि जमाधारकों का हित प्रभावित न हो। निधि के मामले में उनके समक्ष ऋण जोखिम की मात्रा अन्य वित्तीय संस्थानों की तुलना में काफी कम है; उन्हें जनता से जमाराशि जुटाने हेतु विज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी जाती तथा वे केवल अपने सदस्यों से ही संबंधित है। इस प्रकार उनकी पूंजी आवश्यकता बैंकों तथा एनबीएफसी के लिए लागू अपेक्षा की तुलना में कम है अतः समिति 1.20 (जमाराशि में शुद्ध स्वामित्व धनराशि) की सिफारिश करती है। इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक तारीख पिछली लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख होगी। शुद्ध स्वामित्व धनराशि का आशय प्रदत्त इक्विटी तथा संचित हानि व अमूर्त परिसंपत्ति द्वारा घटाई गई फ्री रिजर्व के योग से है। इसमें फ्री रिजर्व का अर्थ विभिन्न कोष के लिए प्रावधान/धनराशि विभाजित करने के बाद लाभांश के रूप में वितरित किया जाने वाला रिजर्व है। उन निधियों के मामले में जिनकी जमाराशि अर्थात् कुल जमा में शुद्ध (स्वामित्व धनराशि 1:20 अनुपात से अधिक है जमाराशि की प्राप्ति अथवा नवीकरण स्थिर कर दिया जाए परंतु निधि को कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए। उन्हें परामर्श दिया जाए कि वे अतिरिक्त राइट्स इश्यू, यदि प्राधिकृत पूंजी में संभव हो, जारी करके शुद्ध स्वामित्व धनराशि बढ़ाएं अथवा यदि आवश्यक हो तो प्राधिकृत पूंजी बढ़ाएं तथा शेयर जारी करें अथवा अंतिम विकल्प के रूप में जमाराशि को अभी नियत अनुपात तक कम करें ताकि एक वर्ष के अंदर शुद्ध स्वामित्व धनराशि तथा कुल जमा के बीज 1:20 का अनुपात रखा जा सके।

(ii) जमाराशि के संबंध में कंपनी कार्य विभाग में 1.11.1999 को अधिसूचना जारी की है जिसे 19.11.1999 तथा उसके बाद 25.4.2000 को संशोधित किया गया। इसमें उल्लेख है कि निधियों को जमाराशि 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही संशोधित अधिसूचना में 50 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक जमाराशि वाली निधियों को 2% बढ़ती जमाराशि की अनुमति दी गई है। इस प्रकार अनेक ऐसी विसंगतियां है जिनका समिति उल्लेख नहीं करना चाहती। निधियों द्वारा जमाराशि बढ़ाने पर लगाया गया प्रतिबंध समिति के सर्वसम्मत विचार के प्रतिकूल है कि निधियां निम्न तथा मध्यम आयवर्गों के हित के लिए कार्य कर रही हैं तथा देश के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं अतः इन्हें कुछ शर्तों के अध्यधीन विकास करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि निधियों को कुछ विवेकपूर्ण मानकों, जिनकी ऊपर सिफारिश की गई है, के अध्यधीन जमाराशि बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) दिनांक 25.4.2000 की अधिसूचना के अनुसार 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक जमाराशि वाली निधियों को आगामी दस वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2% बढ़ती जमाराशि की अनुमति दी गई है। मुद्रास्फीति की दर और बढ़ती हुई लागत को देखते हुए यह सीमित प्रतीत होती है। इसके अलावा निधियों को स्वयं ही विकास करने तथा समुदाय कल्याण की अनुमति दे देनी चाहिए जब तक कि वे शुद्ध स्वामित्व धनराशि व जमाराशि का अनुपात यथासंभव 1:20 बनाए रखें। बढ़ती जमा पर प्रतिबंध लगाना अनावश्यक हो जाएगा। अतः इसे हटा दिया जाए।

5. जमा का पूर्व–समापन

(i) जमा के पूर्व–समापन के संबंध में जनता की राय अलग–अलग है। एक साथ ज्यादा जमा का पूर्व–समापन करने से निधि को धक्का पहुंचेगा तथा यह

निषेध पूर्वसमापन का मामला प्रतीत होता है। दूसरी ओर यदि जमाकर्ता, जिन्हें कभी वास्तव में आवश्यकता होगी, पूर्वसमापन का अधिकार न होने से हतोत्साहित होंगे। समिति द्वारा प्रस्तावित विनियामक तथा पर्यवेक्षण नियंत्रण को देखते हुए तथा विशेष रूप से समिति द्वारा जमाकर्ताओं के लिए प्रस्तावित बीमा सुरक्षा को देखते हुए अनुमान है कि जमाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक संख्या में एक साथ राशि नहीं निकाली जाएगी। अतः समिति का विचार है कि पूर्व समापन की अनुमति दी जाए परंतु इस शर्त पर कि राशि निकालने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए तथा जमाराशि के 70% तक राशि निकालने की अनुमति दी जाए।

(ii) जमाराशि का पूर्व समापन करने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश हैंः–

(क) जमा करने के 3 माह के अंदर पूर्व–समापन की अनुमति नहीं होगी;

(ख) जमा करने के तीन से छः माह के बीच कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। केवल मूलधन लौटाया जाएगा;

(ग) छः से बारह माह की अवधि में पूर्व समापन के लिए निधियों द्वारा बचत बैंक दर पर ब्याज दिया जाएगा;

(घ) यदि पूर्वसमापन जमा कराने के बारह माह के बाद कराया जाता है तो उस जमा पर देय ब्याज कंपनी के पास जमाराशि रखने की निर्धारित अवधि के लिए देय संविदा ब्याज दर से 2% कम दिया जाएगा।

6. बचत खाता

(i) कंपनी कार्य विभाग ने दिनांक 01.01.1999 की अधिसूचना द्वारा बचत बैंक खाता चलाने पर रोक लगाई थी। निधियों द्वारा बचत खाता चालू करने की मांग की गई हैं। वास्तव में निधि के सदस्य निम्न तथा मध्यम वर्ग से संबंधित हैं तथा उन्हें व्यावसायिक बैंकों की औपचारिकता की तुलना में निधि में राशि जमा कराना तथा

निकालना आसान लगता है। अतः सभी सहमत है कि निधियों को बचत जमा खाता चलाने की अनुमति दी जाए। तथापि प्रश्न है कि क्या कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि कुछ निधियां सीमा निर्धारण नहीं चाहती परंतु इस तथ्य को देखते हुए कि निधियों द्वारा समान्य बैंकों का कार्य करना अपेक्षित नहीं है अतः यह आवश्यक है कि यदि बचत जमा खाता चलाने की अनुमति दी जाए तो राशि पर प्रतिबंध लगाया जाए। अतः समिति सिफारिश करती है कि बचत की सीमा 20,000/–रूपए होगी तथा ब्याज दर राष्ट्रीयकृत बैंकों की बचत खाता ब्याज दर से अधिकतम 2% अधिक होगी। 20,000/–रुपए की सीमा से अधिक राशि पर निधि द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(ii) ऋण स्वीकृत होने पर कर्जदार को राशि अथवा उसके अंश को बचत खाते में बिना किसी प्रतिबंध के जमा कराने की अनुमति दी जा सकती है ताकि कर्जदार समय–समय पर जरूरत पड़ने पर उक्त धनराशि निकाल सके तथा उसके लिए संपूर्ण ऋण राशि एक साथ निकालना अनिवार्य न हो।

(iii) कुछ निधियों ने बचत खाते के संबंध में चैक सुविधा की सिफारिश की है परंतु समिति का विचार है कि ऐसा करना निधियों जो न्यूनतम औपचारिकता के साथ कार्य करती है, द्वारा बचत खाता खोलने के प्रयोजन के विपरीत होगा।

7. चालू खाता

समिति ने विशेष मामले के रूप में निधियों को अपने सदस्यों के लिए बचत खाता चलाने की अनुमति दी हैं परंतु उन्हें किसी भी हालत में चालू खाता चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा करना सामान्य बैंकिंग कार्य माना जाएगा।

VII. धनराशि का नियोजन

1. सामान्य

(i) निधि की सुरक्षा, मूल्य तथा लाभ को सुनिश्चित करने के लिए धनराशि के नियोजन तथा प्रयोग पर शर्तें लगाना आवश्यक है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि निधि में जमाराशि का कम से कम 10% राष्ट्रीयकृत बैंक में ऋण मुक्त सावधि जमा प्राप्ति के रूप में जमा कराया जाए तथा केवल 90% का प्रयोग लेन–देन के लिए किया जाए। गणना की तारीख पूर्ववर्ती द्वितीय माह का अंतिम दिन होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनिवार्य जमाराशि आकस्मिकता के आधार पर विभाग द्वारा अलग–अलग वर्गीकृत की जाए। सावधि जमा प्राप्ति से राशि निकालने की अनुमति अत्यावश्यकता होने पर जमाकर्ताओं को केवल वापसी भुगतान के लिए विनियामक प्राधिकारी के अनुमोदन से अस्थायी रूप से दी जाएगी तथा यथासमय इसे निर्धारित सीमा तक वापस लाया जाएगा।

(ii) निधियों द्वारा प्राप्त जमाराशि की ½% जमाराशि आकस्मिकता कोष के रूप में नियत की जाएगी। इस कोष का उद्देश्य निधियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना है। जिन्हें कभी किसी समय जमाकर्ताओं द्वारा अप्रत्याशित रूप से राशि निकालने अथवा कर्जदारों से बसूली देय राशि देरी से प्राप्त होने के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस कोष का रख–रखाव तथा प्रशासन विनियामक प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) फिलहाल कर्जदारों के लिए इक्विटी शेयर लेना आवश्यक नहीं है। निधि के सुदृढ़ीकरण तथा कर्जदार की सहभागिता बढ़ाने की दृष्टि से समिति की सिफारिश है कि सभी कर्जदारों के लिए एक लाख रुपए तक के ऋणों के संबंध में कम से कम 5% ऋण राशि तथा एक लाख रुपए से अधिक व 5 लाख रुपए से कम ऋण राशि के संबंध में 3% और 5 लाख रुपए से अधिक ऋणों के संबंध में 2% ऋण राशि के मूल्य के इक्विटी शेयर लेना आवश्यक है जिनसे कंपनी की वित्तीय स्थिति स्वतः ही सुदृढ़ हो जाएगी। ऋण की वापसी होने पर कर्जदार द्वारा लिए गए शेयर केवल दूसरे कर्जदार को ही अंतरित किए जाएगें ताकि पूंजी में कोई कटौती न हो।

2. ऋण

(i) समिति की निम्नलिखित सिफारिशों का उद्देश्य निधियों को बड़ी संख्या में मध्यम व निम्न आय वर्गों के हित के लिए ऋण स्वीकृति का अधिकार देना तथा बड़ी संख्या में राशि निकालने के कारण निधि को होने वाली हानि को कम करना है। समिति ने कुछ निधियों की 80% ऋण संपत्ति के प्रति तथा कुछ निधियों द्वारा इतनी ही प्रतिशत गहनों के प्रति देने की प्रवृत्ति देखी है जो कि उचित नहीं है क्योंकि इन दोनों का अनुपात उचित होना चाहिए।

(ii) समिति का विचार है कि उद्देश्यों को देखते हुए प्रतिभूति के परंपरागत दो स्वरूपों नामतः गहने तथा संपत्ति के अलावा निधियों केवीपी/एनएसजी/एनएसएस/बीमा पॉलिसी तथा सरकारी प्रतिभूति पर ऋण देने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार के ऋणों के संबंध में समिति द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की जा रही है। निधियों को ऋण स्वीकृति से पहले ऋण की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त कर्जदार की ऋण वापसी क्षमता की जानकारी होनी चाहिए तथा ऋण राशि की वापसी का विवरण तैयार करना चाहिए।

(iii) व्यक्तियों को केवल निम्नलिखित प्रतिभूति पर ऋण दिए जाएंगें:–

(क) सोने तथा चांदी के जेवर;

(ख) अचल संपत्ति;

(ग) केवीपी/एनएसजी/एनएसएस/बीमा पॉलिसी तथा अन्य सरकारी प्रतिभूति

(घ) सावधि जमा प्राप्ति।

(iv) निधियां अपने सदस्यों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए जमा कराई गई प्रतिभूति को बंधक नहीं रखेंगी।

3. प्रतिभूति पर दिए जाने वाली ऋण की मात्रा, अवधि तथा वसूली की तरीका

(i) सोने आदि के गहनों के प्रति ऋणः

(क) गहनों, सोने आदि की प्रतिभूति पर ऋण के मामले में, ऋण की राशि प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण की अवधि 12 माह से अधिक न हो।

(ख) ऋण की अवधि समाप्त होने से एक माह पहले कर्जदार को ऋण का भुगतान करने की सूचना दी जाए। यदि नोटिस के बाद भी ऋण की वापसी न हो तो इस आशय का दूसरा नोटिस दिया जाए कि प्रतिभूति के रूप में रखे गए ज़ेवर, सोने आदि को सार्वजनिक नीलामी में बेच दिया जाएगा। यदि नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर ऋण वापसी न हो तो नीलामी करके ऋण राशि वसूल की जाएगी।

(ग) यदि नीलामी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य के 75% से कम हो तो लेखापरीक्षक इसकी सूचना विनियामक प्राधिकारी को देंगें जो निधि को उपयुक्त परामर्श देगा।

(घ) सोना, जेवर आदि के मूल्य निर्धारण के लिए सरकारी मूल्यांककों की नियुक्ति तथा दंडात्मक कार्रवाई

यह निर्णय किया गया है कि काफी बड़ी संख्या में सोना, जेवर व गहनें होने के कारण उनके मूल्य–निर्धारण के लिए सरकारी मूल्यांककों की नियुक्ति करना व्यवहार्य नहीं होगा। सोने अथवा गहनों पर किसी ऋण के लिए 12 महीने से अधिक जारी रहने की अनुमति न दी जाए। यदि एक वर्ष के अंदर ऋण भुगतान नहीं किया जाता तो, चाहे आंशिक भुगतान किया गया हो फिर भी सोने अथवा जेवर की नीलामी कर दी जाए।

(iii) अचल संपत्ति के प्रति ऋण

चूंकि अचल संपत्ति के प्रति ऋण दीर्घकालीन होते हैं अतः ऋणों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। ऋण राशि प्रतिभूति के रूप में रखी जाने वाली संपत्ति के मूल्य के 33-1/3% से अधिक नहीं होगी।

(क) यदि निधि द्वारा धारित कुल जमा राशि 2 करोड़ रुपये या उससे कम हैं तो प्रति व्यक्ति ऋण 2 लाख रुपये से अधिक न हो, 50,000 रुपए अथवा अधिक के अलग–अलग ऋणों का योग कुल जमाराशि के 15% से अधिक न हो।

(ख) यदि निधि द्वारा धारित कुल जमाराशि 2 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 20 करोड़ रुपए से कम है तो प्रति व्यक्ति ऋण 7,50,000/-रुपए से अधिक न हो; 2 लाख रुपए अथवा अधिक के अलग–अलग ऋणों का योग कुल जमा के 15% से अधिक न हो।

(ग) यदि निधि द्वारा धारित जमाराशि 2 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 50 करोड़ रुपए से कम है तो प्रति व्यक्ति ऋण 12 लाख रुपए से अधिक न हो; 3 लाख रुपए तथा उससे अधिक के सभी अलग–अलग ऋणों का योग कुल जमाराशि के 15% से अधिक न हो।

(घ) यदि निधि द्वारा धारित जमाराशि 50 करोड़ रुपए से अधिक है तो प्रति व्यक्ति ऋण 15 लाख रुपए से अधिक न हो; तथा 4 लाख रुपए और उससे अधिक के अलग–अलग ऋणों का योग कुल जमाराशि के 15% से अधिक न हो।

(ङ.) इस प्रकार के बंधक ऋणों का कुल योग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तारीख को बकाया समग्र ऋण राशि के 40%

से अधिक न हो। जिन निधियों ने इससे अधिक के ऋण दिए हैं उन्हें 40% की सीमा तक पहुंचने के लिए दो वर्ष का समय दिया जा सकता है। यह सीमा प्राप्त होने तक कोई बंधक ऋण न दिया जाए।

इस प्रकार की संतुलित प्रतिशतता निर्धारित करने का यह कारण है कि हाल ही के वर्षों में संपत्ति मूल्यों में काफी उतार–चढ़ाव हुआ है तथा इस प्रकार के ऋणों की वसूली में बहुत समय लगता है।

1. (iii) वसूली का तरीका

(क) जब संपत्ति को प्रतिभूति रखकर ऋण स्वीकृत किया जाता है तो निधि को आमतौर पर समान बंधक, पंजीकृत अथवा अपंजीकृत मिलता है अथवा कर्जदार से अपना स्वामित्व विलेख जमा कराते हुए केवल एक पत्र लिखता है। यदि ऋण की वापसी न हो तो निधि को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है जिसमें भारी व्यय होता है तथा संपत्ति को विक्रय के लिए लाने में कई वर्ष लग जाती हैं। परिणामस्वरूप निधि की लिक्किडिटी, कभी–कभी तो गंभीर रूप से प्रभावित होती है। समिति ने वसूली का बेहतर तरीका जानने के लिए इस समस्या की जांच की। चूंकि यह एक कानूनी मामला है अतः कंपनी कार्य विभाग के कानूनी सलाहकार तथा एसोसिएशन ऑफ निधि के कानूनी सलाहकार के साथ विचार–विमर्श हुए तथा निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

(ख) बंधक के छः प्रकार हैंः–

(i) साधारण बंधक
(ii) प्रतिबंधित विक्रय बंधक
(iii) भोगाधिकार बंधक
(iv) इंग्लिश मॉर्टगेज
(v) स्वामित्व विलेख जमा कराकर साम्य बंधक अथवा संपत्ति बंधक
(vi) असामान्य बंधक

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उपर्युक्त छः प्रकार के बंधक में से बंधक, पंजीकृत अथवा अपंजीकृत द्वारा अथवा कर्जदार द्वारा स्वामित्व विलेख जमा करके एक पत्र प्राप्त करके बंधक रखने की प्रथा ही आम है। अतः समिति इन दोनों प्रकार के बंधक तक ही समिति रहेगी।

(ग) इसके अतिरिक्त वह संपत्ति अवरोधमुक्त है अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं होती। यदि बंधक संपत्ति राज्य के पंजीकरण विभाग में पंजीकृत न हो तो यह पता नहीं लग सकता कि संपत्ति अवरोधकमुक्त है अथवा नहीं तथापि यदि कोई बंधक संपत्ति, यदि बंधक रखने वाले को विक्रय का अधिकार मिले, राज्य के पंजीकरण विभाग में पंजीकृत है जो कि संपत्ति के अवरोधमुक्त होने पर ही पंजीकरण करता है, तभी निधि सुरक्षित व आश्वस्त है।

(घ) वसूली के लिए निधि को मुकदमा दायर करना पड़ेगा जिसमें अत्यधिक शुल्क अर्थात् मुकदमें के मूल्य का 7.5% तथा कानूनी शुल्क, आदि लगता है। न्यायालयों द्वारा मुकदमों के निपटान की स्थिति को देखते हुए निधियों का कहना है कि डिंक्री प्राप्त करने में एक लंबा समय लगता है। इस अवधि में निधियों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो कभी–कभी अनियंत्रित हो जाता है।

(ड.) सहकारी बैंकों के मामले में व्यक्तियों को संपत्ति बंधक रखकर ऋण दिए जाते हैं और राज्य सरकार इस प्रकार के बंधक को स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट देती है। पंजीकरण विभाग द्वारा केवल 1% का पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। चूंकि निधियों द्वारा भी केवल अपने सदस्यों, जो निम्न आय वर्गों से संबंधित है की ही ऋण दिए जाते हैं अतः निधियों को भी सहकारी बैंकों के समान इस प्रकार की छूट देने के लिए राज्य सरकार से आवेदन किया जा सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्य सरकार को 4% स्टाम्प शुल्क की हानि होगी। यह कहना प्रासंगिक होगा कि निधियों के पास रखे गए बड़ी संख्या में बंधक संपत्ति में से केवल कुछ का ही पंजीकरण होता है तथा

राज्य सरकार को काफी कम राजस्व प्राप्ति होती है। तथापि यदि राज्य सरकार समिति की याचिका स्वीकार करते हुए निधियों के पास रखी बंधक संपत्ति को स्टाम्प शुल्क से छूट देती है तो उन्हें निधियों के पास हजारों की संख्या में आने वाली बंधक संपत्ति के संबंध में कम से कम 1% पंजीकरण शुल्क मिलेगा जिससे पंजीकरण विभाग को राजस्व प्राप्ति होगी।

(च) समिति यह सिफारिश करती है कि निधियां जो संपत्ति के प्रति ऋण देती हैं, ऐसा केवल पंजीकृत बंधक जिसके साथ विक्रय का अधिकार हो, के लिए करें। सभी कर्जदारों को स्वतः ही बंधक संपत्ति का पंजीकरण कराना होगा।

(छ) संपत्ति का अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69(ग) के अंतर्गत यदि संपत्ति कलकत्ता, चेन्नई तथा मुंबई में बंधक रखी गई है तो उस संपत्ति के विक्रय के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है तथा बंधक पत्र में प्रावधान है जिसके द्वारा न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बधकग्राही को संपत्ति के विक्रय आदि को अधिकार दिया गया है। तथापि धारा 69(ग) में उल्लिखित नगरों में निधियां न्यायालय में गए बिना विक्रय कर सकती हैं परंतु अन्यत्र स्थित निधियों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। निधियों के विशेष स्वरूप तथा उद्देश्यों को देखते हुए यह प्रावधान सभी निधियों के लिए लागू करने की सिफारिश की जाती है ताकि सभी निधियां न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय की कार्रवाई कर सकें। इसके लिए राज्य सरकार को धारा 69(ग) के प्रावधानों की भांति राजपत्र में प्रावधान अधिसूचित होंगे। राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने से सभी निधियों को काफी लाभ होगा। साथ ही इससे न्यायालय का कार्य भी कम होगा।

(ज) अतः समिति संपत्ति ऋणों के संबंध में वसूली के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करती हैंः–

निधियों को संपत्ति के प्रति ऋण प्रदान करने की अनुमति तभी होगी जबकि कर्जदार न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय के अधिकार के साथ बंधक रखे तथा उसका पंजीकरण विभाग में उपयुक्त रूप से पंजीकरण करवाए। यह सिफारिश तभी प्रभावी रूप से लागू हो सकेगी जबकि कंपनी कार्य विभाग स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट देने और संपत्ति का अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69(ग) के अंतर्गत ऊपर प्रस्तावित कार्रवाई करने के लिए यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाए।

(iv) केवीपी, एनएससी आदि तथा सावधि जमा के संबंध में ऋण के वीपी/एनएससी/एनएसएस/बीमा पॉलिसी तथा अन्य सरकारी प्रतिभूति पर एक वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम देते समय निधियों को यह देखना होगा कि ये निवेशकों के अतिरिक्त अन्य किसी को हंस्तांतरणीय न हो। इन दस्तावेजों की सामान्यतया तीन वर्ष की लॉक–इन अवधि होती है जिसके दौरान इन्हें भुनाया नहीं जा सकता अतः इन्हें वित्तीय परिसंपत्ति नहीं माना जा सकता। लॉक–इन अवधि के बाद इन्हें मैच्योरिटी मूल्य में छूट देकर भुनाया जा सकता है। इन दस्तावेजों पर ऋण देते समय निधियों को पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी कि धारकों से प्रमाण–पत्र लिया जाए तथा एक वचन पत्र लिया जाए कि मैच्योर होने पर अथवा मैच्योर होने से पहले भुनाए गए इन पत्रों द्वारा निधि को ऋण की वापसी की जाएगी। निधियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि क्या डाकघर मैच्योरिटी राशि केवल धारकों को अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान को देगा तथा समुचित कार्रवाई करना चाहिए।

4. लघु वित्तीय समूह

(i) निम्न आय वर्गों के लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जैसे– टोकरी बुनना, हस्तशिल्प, रस्सी बुनना, खिलौने, खाद्य उत्पाद जैसे माला आदि बनाना। कुछ एजेंसियों इन्हें कच्चा माल देकर अथवा छोटे ऋण देकर मदद करती हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति जिनमें अधिकांश महिलाएं होती हैं, सहायता तथा प्रोत्साहन के पात्र हैं यदि इन व्यक्तियों ने अपने स्वसहायता समूह बनाए हों तो समिति सिफारिश करती है कि निधियां इन्हें निम्नलिखित शर्तों पर ऋण दे सकती हैं।

(ii) किसी समूह में कम से कम दस सदस्य होने चाहिएं। प्रत्येक सदस्य 500/-रुपए का ऋण ले सकता है और किसी स्वसहायता समूह को 10,000/-रुपए से अधिक नहीं दिए जा सकते। ये ऋण समूह के सभी सदस्यों की गारंटी द्वारा प्राप्त किए जा सकते है। तथापि इन सभी ऋणों का कुल योग सभी ऋणों के मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) समिति सिफारिश करती है कि सभी ऋणों का योग संपत्ति की प्रतिभूति पर अधिकतम 40%, ज़ेवर आदि पर अधिकतम 50% तथा लघु वित्तीय समूहों के संबंध में अधिकतम 5% होना चाहिए। शेष ऋण के वी पी आदि पर दिए जा सकते हैं।

3. VIII. ब्याज तथा लाभांश पर अधिकतम सीमा

**1.** निधियों की सेवा की लागत तथा अन्य व्यय जमाराशि लेने वाले बैंकों व एनबीएफसी से कम हैं। अतः निधियां अन्य ऋण संस्थानों की तुलना में जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज दर दे सकती है। साथ ही यह दर तर्क संगत होनी चाहिए अन्यथा निधियों को ऋणों पर ब्याज दर को अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ेगा। अतः समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती हैः–

(i) सावधि जमा पर ब्याज दर विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर से अधिक न हो;

(ii) ऋणों पर ब्याज दर निधियों द्वारा बकाया की पद्धति पर आधारित जमा पर दिए जाने वाले उच्चतम ब्याज दर से 5% से अधिक न हो;

(iii) लाभांशों के संबंध में कुछ निधियां काफी अधिक दरें–100% तक या उससे अधिक घोषित करती हैं। यह निधियों की मूल अवधारणा के विपरीत है। साथ ही निधियों, जो अपना कार्य कुशलता से करती हैं, को मान्यता तथा प्रचार मिलना चाहिए ताकि शेयरधारकों के

साथ–साथ आम जनता को उनकी जानकारी हो तथा विश्वास बढ़े ताकि उन्हें अधिक जमा राशि मिल सके।

**2.** अतः समिति की सिफारिश है कि लाभांश की अधिकतम सीमा 25% तक समिति रखी जाए बशर्तें कि आम रिजर्व में बराबर राशि अंतरित की जाए और मैच्योर्ड जमा तथा उस पर ब्याज की वापसी में कोई चूक न हो।

## 4. IX. संगठन और नीति दिशा–निर्देश

### **1.** सामान्य

कोई निधि तभी कार्य कर सकती है जबकि उसके पास धनराशि हो जिससे वह ऋण प्रदान कर सके। अतः जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखा जाए और निधि के प्रबंधन में उनका मत होना चाहिए। निधि की स्थापना करने वाले प्रोमोटर्स, जिनकी प्रतिष्ठा और प्रयास से जमा जुटाई जाती है, का भी निधि के प्रबंधन में सहयोग होना चाहिए। सारे देश में यह आम सम्मति है कि महिलाओं, जिन्हें अब तक विकास के क्षेत्रों में अलग रखा गया है, को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि निहित स्वार्थ को प्रधानता न दी जाए। कोई व्यक्ति यदि न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया जाए तो निदेशक बनने का पात्र नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती हैं:

**2.** निदेशक मंडल

(i) निधियों के निदेशक मंडल में जमाकर्ताओं तथा प्रोमोटर्स/निदेशकों व महिलाओं, का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रारंभ में कम से एक, होना चाहिए। किसी निदेशक को विनियामक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 10 लगातार वर्षों से अधिक निदेशक बने रहने की अनुमति न दी जाए। प्रत्येक माह में बैठकों का आयोजन किया जाए तथा समुचित रजिस्टर रखे जाएं जिनकी विनियामक प्राधिकारी को तिमाही रिपोर्ट भेजने से पूर्व लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक तिमाही में जांच की जाए। कोई व्यक्ति केवल एक ही निधि में निदेशक रह सकता है।

**3.** निदेशकों का पारिश्रमिक

समिति को इस बात का विचार अब तक नहीं आया कि उन्हें निधि की बोर्ड बैठकों की संख्या तथा सदस्यों को दिया जाने वाला बैठक शुल्क विनियमित करना होगा जब तक कि समिति ने यह नोटिस नहीं किया कि कुछ निधियां अनुचित रूप से बोर्ड की बैठकें करवा रही हैं कई बार तो सप्ताह में दो बैठकें और अपने प्रत्येक सदस्य को 2000/-रुपए तक का बैठक शुल्क दे रही हैं। निधि की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए कि इसका गठन लोक कल्याण की भावना वाले लोगों द्वारा किया गया है, यह भी आशा की जा सकती है कि ऐसे लोग स्वेच्छा से सेवा करेंगे तथा बैठक शुल्क नहीं लेंगें। उपर्युक्त के संदर्भ में समिति का विचार है कि निधि द्वारा एक माह में एक बार बोर्ड बैठक की जानी चाहिए तथा इनकी संख्या वर्ष में 15 से अधिक न हो। निधियों में संपत्ति ऋणों आदि के मूल्यांकन के लिए उप–समितियां भी होती हैं परंतु इस प्रकार की उप समितियों की बैठकों की संख्या विनियमित करना संभव नहीं होगा। समिति की सिफारिश है कि बोर्ड बैठकों में उपस्थित रहने के लिए निदेशकों को दी जाने वाली अधिकतम राशि 10,000/-रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो तथा इतनी ही राशि उप समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए दी जाए। यह राशि कंपनी अधिनियम की धारा 309/198 के अंतर्गत उल्लिखित पारिश्रमिक के अलावा है।

**4.** शाखाएं खोलना

(i) चूंकि निधियों की संकल्पना तथा तर्काधार स्थानीय लोगों के बीच बचत को बढ़ावा देना है तथा इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य स्थानीय लोगों से संबंधित है अतः निधि के प्रतिनिधियों की यह मांग कि उन पर राज्य में अथवा उसके बाहर शाखाएं खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सही प्रतीत नहीं होती। यदि किसी मौजूदा निधि के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा निधि के गठन का कोई प्रयास नहीं किया गया है तो उस क्षेत्र में शाखा खोलने का मामला बनता है। इस संबंध में समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती हैंः—

(ii) यदि किसी निधि कंपनी ने लगातार कम से कम तीन वर्ष तक लाभकारी कार्य किया है तथा उसका अनुमान हो कि वह तीन वर्ष की अवधि में पूंजी व्यय की वसूली कर सकेगी तो वह कंपनी शाखाएं खोल सकती है। बशर्ते किः—

(क) कोई भी निधि बिना अनुमोदन के अधिकतम तीन शाखाएं खोल सकती है परंतु वे शाखाएं 26 जनवरी, 1950 गणतंत्र दिवस को क्षेत्रवार सीमांकित किए गए राजस्व जिले में ही होनी चाहिए।

(ख) तथापि यदि निधि जिले के बाहर किन्तु समीपवर्ती क्षेत्र में शाखा खोलना चाहती है तो उसे विनियामक प्राधिकारी का अनुमोदन लेना होगा।

(ग) जिले में अथवा राज्य में अन्यत्र तीन से अधिक शाखाएं खोलने के लिए विनियामक प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(घ) जिन निधियों की जिले में अथवा उसके बाहर तीन शाखाएं पहले से हैं, वे यदि नई शाखा खोलना चाहें तो उन्हें विनियामक प्राधिकारी को आवेदन करना होगा।

(ड.) निधियों को राज्य से बाहर शाखा खोलने की अनुमति नहीं होगी।

(च) कोई भी निधि संग्रहण केन्द्र अथवा जमा केन्द्र अथवा किसी अन्य रूप के धोखे में शाखा नहीं खोल सकती।

(छ) राज्य के बाहर की शाखाओं के संबंध में एक राज्य की शाखा अथवा शाखाओं का एक अलग कंपनी के रूप में गठन किया जाएगा और उसके बाद कार्य की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ तथा निधि के लिए लागू मानकों के अनुपालन के लिए के एक वर्ष का समय दिया जा सकता है।

**5.** शाखाएं खोलने के लिए दिशा–निर्देश

विनियामक प्राधिकारी द्वारा शाखाएं खोलने का अनुमोदन देते समय निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा:

(i) सेवा पूरी करने के प्रत्येक पांच वर्ष के लिए जिले में एक शाखा खोलने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह कंपनी जिले में अथवा उसके बाहर पंजीकृत हो परंतु राज्य के बाहर नहीं;

(ii) यदि किसी कस्बे या गांव के सौ या अधिक लोग कंपनी को अपनी कालोनी में शाखा खोलने हेतु आवेदन दे तो विनियामक प्राधिकारी मामले पर विचार कर सकता है;

(iii) विनियामक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कंपनी ने शुद्ध स्वामित्व कोष तथा जमाराशि के निर्धारित मानकों का पालन किया है;,

(iv) कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई कमी न हो;

(v) कंपनी ने अपने सदस्यों को जमाराशि के भुगतान में चूक न की हो;

(vi) कंपनी ने विनियमों के अनुसार नियामक प्राधिकारी को रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक न की हो।

**6.** प्रशासनिक कार्य कुशलता

बैकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में निस्संदेह निधियां छोटी है परंतु वे बड़ी संख्या में कार्यार्थी, जमाकर्ता तथा कर्जदारों से संबंधित कार्य करती है अतः उन्हें अपने कार्यों के लिए आवश्यक रिकार्ड रखने पड़ते हैं। कार्यालय उपकरणों में प्रगति व कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक सामग्री के महत्व को देखते हुए निधियां अपने कार्य–कलापों का कम्प्यूटरीकरण करेंगी ताकि सूचना आसानी से स्टोर की जा सके और पुनः प्राप्त की जा सके। कम से कम 20 करोड़ रुपए से अधिक जमाराशि वाली निधियों को अपने रिकार्डों व लेखों के कंप्यूटरीकरण पर विचार करना चाहिए।

**7.** शेयर खरीदकर अथवा बोर्ड में व्यक्तियों को नामित करके किसी अन्य निधि का नियंत्रण प्राप्त करना

किसी भी निधि को शेयर खरीदकर किसी अन्य कंपनी को प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। संगम ज्ञापन तथा अनुच्छेद में किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उस कंपनी नियंत्रण मिल जाएगा। तथापि एक ही राज्य में निधियों को कंपनी अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के तहत निधि के गठन के मानकों के अधीन समामेलन अथवा विलयन की अनुमति है।

**8.** निधि को अपना नाम किसी अन्य सहयोगी कारपोरेट निकाय, जिसके उद्देश्य निधि के समान हो; के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

**9.** कारपोरेट निकायों के साथ संव्यवहार

समिति इस बात से सहमत है कि निधि को किसी कारपोरेट निकाय से धनराशि लेने अथवा देने अथवा किसी कारपोरेट निकाय में निवेश करने की अनुमति न दी जाए। जैसा कि पहले बताया गया है कि निधि का कार्य केवल सदस्यों से संबंधित होना चाहिए।

**10.** नोटिस के परिचालन की सीमा

जिस कंपनी के 10,000 सदस्य हों, अथवा जमाराशि द्वारा 2 करोड़ रुपए हों, उसे अपने लेखा परीक्षित तुलन पत्र दो समाचारपत्रों, एक अंग्रेजी व दूसरा स्थानीय भाषा में प्रकाशित करवाने होंगें। अन्य कंपनियां अपने तुलन पत्र का सार निधि के नोटिस बोर्ड पर लगाकर तथा दस या अधिक शेयर वाले सदस्यों को भेजकर प्रचारित करेंगीं।

**11.** निधियां वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष में शेयरधारकों की पूरी सूची कंपनी रजिस्ट्रार को दाखिल करना जारी रखेंगीं।

**12.** घोषित लाभांश नोटिस बोर्ड में प्रकाशित किया जाएगा। शेयरधारकों को अलग–अलग कोई सूचना नहीं भेजी जाती और कभी कभार लाभांश की राशि काफी कम होती है अतः शेयरधारक उन पर दावा नहीं कर सकते। कंपनी अधिनियम की धारा 205ग के अनुसार 7 वर्ष की अवधि के बाद यदि लाभांश की राशि का दावा न किया जाए तो वह राशि केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 205ग के अंतर्गत गठित कोष में अंतरित कर दी जाए।

**13.** शास्तियां

(i) दिशानिर्देशों/विनियमनों में चूक/उल्लंघन के लिए अनुरूप शास्तियों के बिना कोई विनियमन अथवा पर्यवेक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। निधियों का एकमात्र लक्ष्य समाज के निम्न तथा मध्यम वर्गों का कल्याण करना है अतः यह

आवश्यकता है कि इस प्रकार की कंपनियों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा की गई चूक/उल्लंघन गैर–अनुपालन के लिए शास्ति का प्रावधान हो। ऐसे उल्लंघन जो इन कंपनियों के मूल उद्देश्य को विफल करते हों के लिए कारावास सहित दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए उल्लंघन/अपराध के प्रकार तथा अनुरूप शास्तियों की तालिका परिशिष्ट–IX में दी गई है।

(ii) केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 642 के साथ पठित धारा 620 की उप धारा (2) के खंड (ख) के तहत दी गई शास्तियों के आधार पर शास्तियों की व्यवस्था की है। जिनका विवरण–IX में दिया गया है।

## 5. X. रेटिंग

1. विचारार्थ विषयों के अनुसार समिति को यह विचार करना है कि क्या ऋण रेटिंग एजेंसियों को निधियों की विभिन्न जमा स्कीमों का मूल्यांकन करना चाहिए।

2. ऋण रेटिंग एजेंसियों की प्रासंगिकता तथा वैधता विश्वसनीय है और समिति ने ऐसी कुछ एजेंसियों को अपनी स्थिति कि क्या वह अच्छी, खराब अथवा ठीक–ठाक है, का पता होना चाहिए और यदि ऋण रेंटिंग एजेंसी द्वारा यह रेटिंग की जाए तो जनता निधि की कार्यप्रणाली की जानकारी होगी साथ ही यह विनियामक प्राधिकारी के लिए भी उपयोगी होगी। अतः समिति ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया। निधियों का गठन लोक कल्याण की भावना रखने वाले लोगों द्वारा किया जाता है जो छोटे क्षेत्र में कार्य करती है तथा स्थानीय लोगों से संबंधित हैं। निधियां अपने सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी से संबंधित नहीं हैं। संक्षेप में निधियां गैर सदस्यों अथवा कारपोरेट निकायों के साथ व्यापार नहीं कर सकतीं। अतः निधियां ऋण देने और लेने वाले अन्य व्यापार निकायों से अलग हैं। निधियों द्वारा औपचारिकता, लेखे रखने की प्रणाली आदि अन्य व्यापारिक एवं बैंकिंग संस्थानों की तुलना में आसान है। इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट की सिफारिशों विशेषकर विवेकपूर्ण मानक, ऋणों की सीमांकन, लेखा परीक्षा की प्रणाली तथा पर्यवेक्षण ढांचा आदि, जनता का विश्वास प्राप्त करना तथा जमाकर्ताओं का हित, विनियामक प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई आदि को देखते हुए समिति का यह विचार है कि सभी निधियों की ऋण रेटिंग आवश्यक नहीं है। तथापि निधियों के विकास को देखते हुए संभवतः, वे निधियां, जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपए से अधिक है और जो रेटिंग का शुल्क दे सकती हो, को परामर्श दिया जा सकता है कि वे अपना वर्गीकरण करवाने के लिए ऋण रेटिंग एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करें। विनियामक प्राधिकारी को भी यह अधिकार होगा कि वह ऐसी निधियों को ऋण रेटिंग एजेंसी की सेवाओं का लाभ लेने के लिए निर्देश दें। इस प्रक्रिया में मांगे विस्तार पर यथासमय विचार किया जा सकता है।

## 6. XI. बीमा

1. विचारार्थ विषयों में कंपनी से निधि जमाराशि के लिए बीमा योजना की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा गया है। वास्तव में निधियों के असंतुष्ट जमाकर्ताओं से अपीलें प्राप्त हुई हैं कि निधि जमाकर्ताओं के लिए एक जमा बीमा योजना होना चाहिए। समिति ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि., जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के साथ विचार–विमर्श किया। बीमा कंपनियों का यह विचार था कि निधि जमा के लिए बीमा योजना को बैंकों की जमा बीमा योजना के बराबर नहीं माना जा सकता जिसका प्रशासन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है क्योंकि यह योजना वित्तीय गांरटी है। अतः उन्हें निधियों की परिसंपत्ति की क्वालिटी की जांच करनी होगी। यह भी कहा गया कि विगत में विनियामक ढांचें में कुछ त्रुटियों के कारण निधियों की संख्या काफी बढ़ गई है तथा पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृ ढ़ करना होगा ताकि परिसंपत्तियों का मूल्य घटने से रोका जा सके तथा पूंजी की मात्रा परिसंपत्तियों के जोखिम के अनुरूप होनी चाहिए। विचार विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि हमारी सिफारिशों में न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, देयता का शुद्ध स्वामित्व कोष से संबंध, अधिकतम सीमा शुरू करना, आवधिक लेखा परीक्षा तथा विनियामक प्राधिकारी को रिपोर्ट देना शामिल है जिससे पर्यवेक्षण ढांचा तथा नियंत्रण सुनिश्चित हो सकेगा। इस प्रकार इन सिफारिशों से निधियों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी और परिसंपत्तियों के गलत चयन को रोका न सही परंतु कम किया जा सकेगा। संपत्ति का अंतरण अधिनियम में भी कतिपय संशोधनों की सिफारिश की जाती है ताकि बंधक ऋणों की प्रतिभूति प्राप्त हो सके। इस प्रकार निधियों की कार्यप्रणाली में समग्र सुधार होगा जिससे जमाकर्ता शेयरधारकों का विश्वास बढ़ेगा।

2. उपर्युक्त बीमा प्राधिकरणों ने समिति की सिफारिशों का स्वागत करते हुए कह कि ये सिफारिशें लागू होने के बाद निधि जमा के बीमा पर भी विचार किया जा सकता है। अतः इस संबंध में आगे कार्रवाई कंपनी कार्य विभाग द्वारा यथा समय की जाएगी। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमा की कोई भी योजना चयनित निधियों के लिए न होकर सभी निधियों के लिए लागू होगी। इसके अलावा बंधक संपत्तियों का अलग से

कोई मूल्यांकन न किया जाए क्योंकि एक तो इनकी संख्या अत्यधिक है और साथ ही समिति द्वारा अपनी सिफारिशों में पर्याप्त पूर्वोपाय निर्धारित किए गए हैं।

## 7. XII. विवेकपूर्ण मानक

1. कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों में निधि कंपनियों के लिए आय स्वीकृति तथा परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के संबंध में कोई मानक शामिल नहीं हैं। परिणामस्वरूप संबंधित निधियों के बोर्ड के विवेक पर यह निर्णय छोड़ दिया गया परंतु दुर्भाग्वश निधियों ने आय स्वीकृति का विवेकपूर्ण तरीका नहीं अपनाया है।

2. समिति का विचार है कि आय स्वीकृति तथा परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए ऐसे विवेकपूर्ण मानक न होने के कारण अनेक निधियों ने अपने तुलन–पत्र में झूठी सूचना दी है तथा कंपनी का वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी ने देकर जनता को गुमराह किया है ताकि सही स्थिति ने बताकर अधिक से अधिक लोगों से कंपनी में बड़ी मात्रा में राशि जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई दिशानिर्देश न होने के कारण सांविधिक लेखापरीक्षक बोर्ड के विचारों से सहमत हो जाते है अथवा बोर्ड के निर्णयों की सत्यता के संबंध में संदिग्ध रहते हैं। अतः समिति का यह विचार है कि आय स्वीकृति तथा परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए कुछ न्यूनतम विवेकपूर्ण मानक होने चाहिएं।

3. समिति ने निधियों के लिए आय स्वीकृति और परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के मुद्दों पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का भी मत लिया है। संस्थान का सुझाव है कि बैंकिंग कंपनियों के लिए लागू मानकों को निधियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

4. समिति ने आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों पर भी विचार किया है जिनका अनुपालन एनबीएफसी तथा बैंकिंग कंपनियों द्वारा आय स्वीकृति और परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के संबंध में करना अनिवार्य है।

5. प्राथमिक अथवा समर्थक प्रतिभूति की प्रकृति तथा मूल्य को ध्यान में न रखते हुए वसूली के रिकार्ड पर आधारित आय स्वीकृति व परिसंपत्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानक बैंकों तथा एनबीएफसी के लिए प्रासंगिक हैं, इसके अनुरूप समिति निम्नलिखित तीन सिद्धांतों का समर्थन करती हैः–

(i) एक निर्धारित अवधि के बाद प्राप्ति आधार पर आय स्वीकृति रोक देना;

(ii) स्वीकृति रोकने से पूर्व लाभ–हानि विवरण में शामिल वसूल न की गई आय की मान्यता समाप्त करना;

(iii) कुल बकायाराशि के प्रति अतिरिक्त प्रावधान जो प्रत्येक निष्पादन न करने वाले लेखों में उपयोगी होंगें।

6. इसके अतिरिक्त, सभी ऋणों (अपनी सावधि जमा प्राप्तियों पर ऋण को छोडकर) को बैंकिंग कंपनियों तथा एनबीएफसी के अनुरूप चार श्रेणियों तथा मानक, अवमानक, अनिश्चित तथा हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाए।

7. समिति ने पहले ही यह विचार किया है कि सुरक्षित ऋण ज़ेवर, सावधि जमा प्राप्तियों, केवीपी, एनएससी, एनएसएस, बीमा पॉलिसी तथा लघु वित्तीय समूहों अथवा स्वसहायता समूहों को समूह गारंटी पर दिए जा सकते है तथा इन ऋणों की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मकान को बंधक रखकर दिए गए ऋण पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए न दिए जाएं। जहां तक मूलधन और ब्याज की वसूली का संबंध है, यह देखा गया है कि ग्रामीण तथा अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में निधियों द्वारा दिए गए ऋण उपयोग के लिए होते है तथा उनकी वापसी परंपरागत रूप से फसल की कटाई के मौसम से संबंधित होती है। अतः विवेकपूर्ण आय स्वीकृति मानकों को उपयुक्ततः संशोधित करना तथा निधियों के लिए उनकी व्यापार प्रथाओं के अनुरूप प्रावधान मानकों की व्यवस्था करना आवश्यक है।

8. आय स्वीकृति मानक

यदि कोई परिसंपत्ति गैर लाभकारी है तो किसी ऋण लेखे पर प्राप्ति आधार पर लाभ हानि लेखे में उस आय को शामिल न किया जाए। किसी लेखे के गैर लाभकारी होने के दौरान अथवा उसके बाद ब्याज आय की आंशिक प्राप्ति को कर्ज़दार द्वारा देयता से पूरा उक्त नहीं माना जाएगा तथा उपर्युक्त सिद्धांत लागू होगा। इसके अतिरिक्त लाभ हानि लेखे में शामिल परंतु गैर लाभकारी परिसंपत्ति होने के बाद शेष अप्राप्त आय को चालू वर्ष के लाभ से अभिशून्य कर दिया जाएगा। आय को इस प्रकार से अभिशून्य करना लाभ हानि लेखे में विशेष रूप से प्रकट किया जाएगा तथा इसे सकल आय अथवा कंपनी द्वारा पहले से धारित अप्राप्य अथवा अनिश्चित ऋण के लिए तुलन पत्र में प्रावधानों के प्रति नहीं गिना जाएगा। आधिक्य प्रावधानों को लाभ हानि लेखों में लिखा जा सकता है।

टिप्पणीः गैर लाभकारी परिसंपत्तियों वे ऋण खाते होंगे जिनमें ब्याज आय तथा/अथवा मूल राशि की वापसी के प्रति ऋण की किश्त 12 माह के लिए बिल्कुल प्राप्त न की गई हो।

9. अप्राप्य तथा अनिश्चित ऋणों के लिए निवेश

जैसा कि पहले ही समझा जा चुका है निधियों को केवल सुरक्षित ऋण देने की अनुमति दी जाएगी जिनके मुख्य अंश के रूप में ऐसी प्रतिभूति है जिसे न्यूनतम औपचारिकता के साथ भुनाया जा सके अतः बैंकिंग कंपनियों तथा एनबीएफसी के तुलना में निधियों के लिए निवेश मानक कम कड़े होने चाहिए। तदनुसार निम्नलिखित निवेश मानक प्रस्तावित हैं:–

(क) आवास बंधक ऋण

(i) मानक परिसंपत्तियां : कोई निवेश नहीं

(ii) अव–मानक परिसंपत्तियां : कुल बकाया राशि का 10%

(अव–मानक परिसंपत्तियां वे ऋण लेखे होंगे जो गैर–लाभकारी परिसंपत्तियां हैं ब्याज भुगतान की ऋण किश्त का पुनः निर्धारण परिसंपत्ति का वर्ग नहीं बदलेगा जब तक कि ऋण लेखा इस पुनः निर्धारण के बाद कम से कम 12 माह तक संतोषजनक रूप से निष्पादन न करें)

(iii) अनिश्चित ऋण : कुल बकाया राशि का 50%

(यदि ब्याज आय अथवा शेष किश्तें प्राप्त न होने के पहले दो वर्षों के अंदर संपत्ति विक्रय की कार्रवाई शुरू कर दी गई है तो कुल वकाया राशि से सहायक प्रतिभूति का अनुमानित प्राप्त होने वाला मूल्य घटा दिया जाए। किसी भी हालत में प्रतिभूति का मूल्य ऋण प्रदान करते समय मूल्यांकित मूल्य से अधिक न हो)।

(अनिश्चित ऋण वे ऋण लेखे हैं जो एक वर्ष से अधिक परंतु दो वर्ष से कम समय तक गैर लाभकारी रहे हों।

(iv) हानि परिसंपत्तियां : बकाया राशि का 100%

(सहायक प्रतिभूति का मूल्य चाहे जो हो)

(हानि परिसंपत्तियां वे ऋण लेखे है जो 2 वर्ष से अधिक समय के लिए गैर–लाभकारी रहे हों अथवा जिनमें कानूनी प्रक्रिया के कारण निष्पादित दस्तावेज़ अमान्य हो गए हों)

टिप्पणीः कोई भी परिसंपत्ति उपर्युक्त श्रेणियों नामतः अव–मानक अथवा अनिश्चित परिसंपत्ति हुए बिना हानि परिसंपत्ति हो सकती है यदि लेनदार के विरूद्ध दावे के प्रवर्तन की संभावना हो अथवा सहायक प्रतिभूति प्राप्त की जाए अथवा सहायक प्रतिभूति उपलब्ध हो, जो भी मामला हो।

10. सोना, गहनों तथा अन्य प्रतिभूति पर ऋण

चूंकि उपर्युक्त ऋणों को प्रदान करने की तारीख से 12 माह के अंदर उस पर प्राप्त ब्याज के साथ कर्ज़दार द्वारा वापसी अथवा सहायक प्रतिभूति पर निधि के दावे के प्रवर्तन/नीलामी द्वारा चुकाया जाना अपेक्षित है, अतः निवेश मानकों का सुझाव नहीं दिया जा रहा। निधि द्वारा सहायक प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के प्रति अपनी बकाया राशि को अगले तीन महीने के अंदर समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उपर्युक्त प्रकार से धनराशि की वसूली न हो तो प्रतिभूति के प्राप्त मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्राप्त न किया गया अंश तत्काल उपलब्ध कराया जाए तथा प्रतिभूति प्राप्ति की तारीख को कोई घाटा, यदि हो, तो आय प्राप्ति की तारीख पुनः उपलब्ध कराया जाएगा।

8. XIII. निधि लेखों की लेखा परीक्षा

**1.** निधियों की सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए विनियामक प्राधिकारी तीन लेखापरीक्षकों के नाम प्रस्तावित करेगा जिनमें से निधि एक का चयन करेगी। यह लेखापरीक्षक लगातार तीन वर्ष, बशर्ते जब तक परिवर्तन आवश्यक न हो, तक अपने कार्य करेगा। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार नए लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वार्षिक लेखापरीक्ष के अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियामक प्राधिकारी को प्रपत्र (परिशिष्ट VI, VII तथा VIII) में वित्तीय तिमाही रिपोर्ट भी भेजेगा जिसमें महत्वपूर्ण विवेकी मानक शामिल होंगे। यदि निधि की कार्यप्रणाली के

बारे में गंभीर शिकायतें हो अथवा लेखापरीक्षक की तिमाही रिपोर्टों से ऐसी कोई सूचना मिले जिसमें आगे जांच अपेक्षित हो तो विनियामक प्राधिकारी को विभागीय निरीक्षण तथा विशेष लेखापरीक्षा करवाने का आदेश देने का भी अधिकार है।

**2.** निधियों के लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली अतिरिक्त मदें

समिति ने निधियों के कार्यों की मानीटरिंग में लेखापरीक्षकों की व्यापक भूमिका की सिफारिश की है जिसमें निधियों द्वारा विनियामक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न के तिमाही प्रमाणन तथा कंपनी की वास्तविक व सही वित्तीय स्थिति बताते हुए उसके लेखों की वार्षिक लेखापरीक्षा शामिल है। हालांकि नियामक प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर किसी निधि की जांच करने की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता परंतु यह सुविचारित मत है कि लेखापरीक्षकों को निधि द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों की सूचना आपत्ति द्वारा नियामक प्राधिकारी को देने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जा सकता है ताकि जमाकर्ताओं के कल्याण के लिए सुधारात्मक/प्रभावी कार्रवाई शुरू की जा सकें। आपत्ति रिपोर्ट में निधियों द्वारा कम से कम निम्नलिखित गैर अनुपालन शामिल होंगेः–

(i) क्या निधि ने अपना कार्य कंपनी रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने के बाद शुरू किया है।

(ii) क्या तुलन–पत्र की तारीख तक न्यूनतम पूंजी 10 लाख रुपए से अधिक है।

(iii) क्या तुलन–पत्र की तारीख को शुद्ध स्वामित्व कोष का अनुपात जमा देयता की तुलना में 1:20 से अधिक है।

(iv) क्या कंपनी ने शुद्ध स्वामित्व कोष से निकालते हुए नए अधिमानी शेयर जारी किए है तथा क्या विमोचन के लिए अपेक्षित अधिमानी शेयरों का विमोचन नहीं हुआ है;

(v) क्या कंपनी आवेदन प्रपत्र की सार–वस्तु, जमाराशि की अवधि, जमाराशि पर देय ब्याज दर, जमाराशि का पूर्व समापन, बचत जमा खाते में अधिकतम बकाया राशि आदि से संबंधित विनियमों के अनुसार जमाराशि प्राप्त कर रही है?

(vi) क्या कंपनी ने विनियमनों के अनुसार कोई कंपनी खोली है?

(vii) क्या कारपोरेट निकाय के साथ लेन–देन करने पर लगाई गई रोक का अनुपालन किया गया है?

(viii) क्या कंपनी ने नकदी परिसंपत्तियां रखी हैं?

(ix) क्या नकदी परिसंपत्ति प्रतिभूति को नामित अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में जमा किया गया है?

(x) क्या कंपनी आय स्वीकृति तथा अव–मानक/चूक/हानि परिसंपत्ति के प्रति निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन किया है?

(xi) क्या कंपनी में ऋण प्रस्ताव/निवेदन, ऋण आवश्यकता का मूल्यांकन तथा कर्ज़दारों की भुगतान क्षमता के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त प्रक्रिया है?

(xii) क्या निधि द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों की भुगतान अवधि कर्ज़दार की भुगतान क्षमता पर आधारित है और ऋण खातों की वसूली में सहायक हैं।

(xiii) क्या प्रतिभूति, जिसके प्रति ऋण बकाया राशि से अधिक है, का मूल्य प्रत्येक ऋण खाते में कम हुआ है (प्रति दर्श जांच के अनुसार)।

(xiv) क्या कंपनी ने किसी विशेष परिसंपत्ति की प्रति ऋण खातों की अधिकतम सीमा के अंदर पात्र प्रतिभूति पर ऋण प्रदान किया है?

(xv) क्या मकान बंधक तथा अन्य प्रतिभूति पर दिया गया कुल ऋण निर्धारित सेक्टरल सीमा के अंदर है।

(xvi) क्या निधियों द्वारा प्राप्त दस्तावेज, जिनमें मूल प्रतिभूति शामिल है, सही है।

(xvii) क्या निदेशकों की ऋण देने पर रोक का पालन किया गया है।

(xviii) क्या निदेशकों को दिए गए ऋण, यदि कोई हो, तो उनकी वापसी भुगतान कार्यक्रम के अनुसार हो रही है।

(xix) क्या कंपनी में नियामक प्राधिकारी को निर्धारित अंतराल तथा निश्चित समय में संबंधित रिटर्न भेजें हैं।

(xx) क्या ये रिटर्न सही भरे गए हैं तथा इनमें दी गई सूचना/आंकडे वास्तविक लेखा बही से लिए गए हैं।

(xxi) क्या कंपनी के प्रबंधन कार्य कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा निधि विनियमों के अनुसार चलाए जा रहे हैं।

(xxii) क्या निदेशक मंडल द्वारा व्यापार संचालन, निदेशक मंडल का गठन, निदेशक मंडल द्वारा नियामक ढांचे का अनुपालन सही पाया गया है।

(xxiii) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किसी भी पैरा में उल्लिखित किसी मद के संबंध में यदि विपरीत अथवा सापेक्ष विवरण दिया जाता है तो लेखापरीक्षक को उस विपरीत अथवा सापेक्ष विवरण, जो भी मामला हो, के कारण भी बताने होंगे। यदि लेखापरीक्षक उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित किसी मद पर अपना मत प्रकट न करें सके तो उसकी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य तथा उसके कारण होने चाहिएं।

(xxiv) गैर अनुपालन संबंधी उसकी रिपोर्ट की एक प्रति निधि के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी, कंपनी अधिनियम की धारा 227 के तहत लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी जिसे कंपनी के शेयर धारकों को तथा एक अलग पत्र द्वारा नियामक प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

**3.** निधियों का निगमन होने के बाद में संगम–ज्ञापन तथा अनुच्छेद के प्रावधानों तथा कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार और नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगीं, यदि कोई निधि उपरोक्त प्रावधानों, अधिसूचना तथा दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उस पर नियामक प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो निधि के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। विशेष अधिकारी नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

## 62. XIV. नियामक तथा पर्यवेक्षण प्राधिकारी

1. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होने के नाते निधि स्वतः ही कंपनी कार्य विभाग के पर्यवेक्षणाधीन है। ऋण लेने तथा देने का काम करने वाली वित्त कंपनी होने के नाते निधि अर्ध–बैंकिंग कार्य करती है अतः आरबीआई के पर्यवेक्षण में आती है। इस स्थिति को देखते हुए निधि पर कंपनी कार्य विभाग तथा भारतीय रिज़र्व बैंक का दोहरा नियंत्रण है। निधियों का सर्वप्रथम विचार है कि उन्हें एक प्राधिकारी के पर्यवेक्षण

तथा नियंत्रण में रखना उचित होगा। यह उचित है और समिति निधियों का यह अनुरोध स्वीकार करती है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय प्राधिकरण है जो बैंकों, वित्तीय कंपनियों आदि जैसे सभी वित्तीय संस्थानों के कार्यों का प्रशासन करता है। अतः उनका दायरा और दायित्व व्यापक, दुर्वह तथा महत्वपूर्ण है। निधियों की संख्या के संबंध में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निधि के रूप में निगमित तथा घोषणा की प्रतीक्षा कर रही निधियों की संख्या लगभग 1200 बताई जाती है। इनमें से अधिकांश दक्षिण क्षेत्र में हैं। यह देखते हुए कि निधियां मुख्यता ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कस्बों में स्थित हैं तथा निम्न व मध्यम आय वर्गों के हित का कार्य कर रही हैं, आरबीआई से इन निधियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का दायित्व लेने को कहना अनुचित लगता हैं, साथ ही पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ब्याज प्रभार आदि के संबंध में निधि को जिनका कड़ाई से पालन करना है, वे निर्देश जारी करने का समुचित प्राधिकरण निस्संदेह आरबीआई है। जहां तक निधि का गठन सदस्यता, निदेशकों का चुनाव, प्रशासनिक प्रथाओं आदि का संबंध है, ये कंपनी कार्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। आरबीआई अपने दायित्वों के दायरे से संबंधित मामले में कंपनी कार्य विभाग को समय–समय पर परामर्श दे सकता है जैसा कि पहले बताया गया है और कंपनी कार्य विभाग उन्हें लागू करेगा। अतः निधियों के पर्यवेक्षण तथा विनियमन का दायित्व केवल कंपनी कार्य विभाग को सौंपा जा सकता है।

3. निधियों जो कि मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटी कंपनियां हैं, अतः यह सुविधा जनक होगा कि उनका तत्काल पर्यवेक्षण व नियंत्रण प्राधिकारी दूर दिल्ली में न होकर पास ही हो। हालांकि ऐसा प्राधिकरण प्रत्येक राज्य में होना संभव अथवा आवश्यक नहीं है, अतः इस प्रयोजनार्थ कंपनी कार्य विभाग के क्षेत्रीय निदेशक को नामित किया जा सकता है जो नियामक प्राधिकारी के रूप में लगभग तीन/चार राज्यों का प्रभारी है और कंपनी कार्य विभाग द्वारा उसे पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। दक्षिण क्षेत्र के मामले में, जहां अधिकतम निधियां कार्यरत है, के लिए क्षेत्रीय निदेशक/नियामक प्राधिकारी की मदद के लिए एक अधिकारी अलग से नियत करना आवश्यक है। समग्र पर्यवेक्षण तथा अपील का अधिकार आदि दिल्ली में कंपनी कार्य विभाग के पास ही रहेगा।

4. दायित्व एवं अधिकार सौंपने के इस दृष्टिकोण को जारी रखते हुए कंपनी कार्य विभाग उन स्थानों, जहां अधिकतम निधियां केन्द्रित हैं, पर उप–क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर सकता है। फिलहाल विद्यमान क्षेत्रीय कार्यालय भी यह कार्य करेंगें।

5. उपर्युक्त कारणों से पूंजी पर्याप्त अनुपात, ब्याज प्रभार आदि जैसे मामलों के संबंध में निधियों की कार्यप्रणाली में आरबीआई सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः नियामक प्राधिकारी और आरबीआई के मध्य सूचना का समय–समय पर आदान–प्रदान तथा प्रत्यक्ष जिम्मेदार संपर्क आवश्यक है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि आरबीआई, नियामक प्राधिकारी तथा कंपनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि के साथ एक स्थायी पुनरीक्षा समिति का गठन किया जाए। इस पुनरीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय तिमाही के बाद प्रत्येक माह में नियामक प्राधिकारी के मुख्यालय में होनी चाहिए। पुनरीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त कंपनी कार्य विभाग और भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाए। नियामक प्राधिकारी भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगा।